न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सं.1 किशनगढ़, अजमेर

पीठासीन अधिकारी :: मनीष हरजाई, आर.जे.एस.

एफ आई आर संख्या– 144/2021, पुलिस थाना – मदनगंज
फौजदारी नियमित प्रकरण सं. 288/21
सी.आई.एस. नंबर 603/21
अन्तर्गत धारा – 379 भारतीय दण्ड संहिता

राजस्थान सरकार

ब ना म

नोरतमल पुत्र मंगलचन्द्र प्रजापत, उम्र 28 साल, निवासी कच्ची बस्ती, हाउसिंग बोर्ड मदनगंज, पुलिस थाना मदगंज, जिला अजमेर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–437 दं.प्र.सं.

उपस्थिति :–

1. विद्वान् अधिवक्ता श्री जटाशंकर तिवाडी – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

–: आदेश :– दिनांक 28.09.2021

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता, जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र की नकल अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3– पुलिस द्वारा प्रस्तुत सजायाबी रिकॉर्ड के मुताबिक अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा कोई सजायाबी रिकॉर्ड नहीं है।

4– प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् इस न्यायालय के विनम्र मत में यह है कि प्रकरण में दिनांक 26.06.2021 को परिवादी की ओर से अपनी कार मारूति सुजुकी बलेनो नंबर आर जे 42 सी–ए 3678 के चोरी होने के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान दिनांक 04.08.2021 को धारा 379 आई पी सी में अभियुक्त के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर उक्त दिनांक को ही न्यायालय द्वारा उक्त धारा में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है। वर्तमान में पत्रावली चार्ज बहस हेतु नियत है।

5— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि इस प्रकरण में दर्ज एफ आई आर के मुताबिक आदर्श नगर, अजमेर रोड़, मदनगंज पर खड़ी मारूति सुजुकी बलेनो, नंबर आर जे 42 सी—ए 3678 की चोरी के अवधारण का प्रश्न अन्तर्वलित है। प्रकरण धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित है। चोरी के ऐसे मामले से समाज में चल सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में भय व्याप्त होता है।

6— इसी के साथ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र होना कथन किया गया है। जबकि पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ की ओर से जरिये ई—मेल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 16.07.2021 को इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकरण में इसी अभियुक्त के सम्बन्ध में जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया है।

7— ऐसे में मामले के तथ्यों—परिस्थितियों, प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के पश्चात्, तथा वर्तमान में इस क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में होने वाली दिनोंदिन वृद्धि को भी ध्यान में रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(मनीष हरजाई)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सं.1
किशनगढ़, अजमेर

8— आदेश आज दिनांक 28.09.2021 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीष हरजाई)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सं.1
किशनगढ़, अजमेर